न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प जालोर

पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 15 / 2017

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1. काला पुत्र रूगनाथ जी 2. वसनाराम पुत्र खेताराम जातिगण रेबारी निवासीगण रामपुरा (सिलासन) तहसील रानीवाड़ा ज़िला जालोर		1. उकरडा पुत्र वजाजी 2. रम्भा पुत्री पांचाजी 3. सुजाना पुत्र रूगनाथजी 4. जोराराम पुत्र खेताराम 5. मोरी पुत्री खेताराम 6. चम्पा पुत्री खेताराम 7. अणसी पत्नी खेताराम 8. करमी वल्द नानजी 9. नेबा पुत्र करनाजी 10. जीतु पुत्र करनाजी 11. सावला पुत्र करनाजी 12. पंखु पुत्री करनाजी 13. लेरी पत्नी करनाजी (रेस्पोडेन्ट संख्या 9 से 12 नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता लेरी) 14. लक्ष्मणा पुत्र नानजी 15. रतनी वल्द नानजी 16. उनी पुत्री नानजी 17. सुकी पुत्री नानजी 18. सुजा पुत्र फगलुजी जातिगण रेबारी निवासीगण रामपुरा सिलासन तहसील रानीवाड़ा 19. वाला पुत्र फगलुजी के का0मु0 चम्पा पुत्री वाला पत्नी चमनाराम जाति रेबारी निवासी उगमनावास तहसील भीनमाल 20. गोकला पुत्र केसाजी 21. कीडी पत्नी केसाजी 22. करीया पुत्री समेलाजी जातिगण रेबारी निवासीगण रामपुरा सिलासन तहसील रानीवाड़ा 23. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार रानीवाड़ा

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली कैम्प-जालोर

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री जगदीश गोदारा, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स
2. श्री उत्तम कुमार, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3. श्री चन्दनमल छीपा, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 3 से 7
4. सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 23 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांक : 14/8/18

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स के प्रस्तुत कर सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रानीवाड़ा द्वारा राजस्व वाद संख्या 42/2012 उकरडा बनाम पांचा के का0मु0 वगैरा में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री 02.07.2015 एवं अन्तिम डिक्री दिनांक 05.04.2016 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि जैर अपील वादस्थ भूमि अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट्स की खातेदारी कब्जाकाश्त की भूमि है। उक्त भूमि में अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट अपने अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत कर संयुक्त खातेदारी भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन कराने का निवेदन किया। जिस पर प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही करते हुए पत्रावली को राजस्व लोक अदालत में नियत किया गया। जिस पर अपीलाण्ट की सहमति नहीं होने के बावजूद अपीलाण्ट से एक खाली पेपर पर हस्ताक्षर करवाये जाकर प्राथमिक डिक्री पारित की गई तथा उक्त प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर अपीलाण्ट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री की पालना में जो प्रस्ताव तैयार किया गया, उसमें तहसीलदार द्वारा मौका निरीक्षण नहीं किया तथा जिस भूमि पर जो खातेदार काबिज थे, उन्हे दूसरी भूमि दी गई। जैर अपील वादस्थ भूमि पर ढाणिया बनी हुई है, जो दूसरे खातेदार के हिस्से में दर्ज हो गई है। तहसीलदार द्वारा प्रेषित प्रस्ताव में रास्ते के कोई प्रावधान ही दर्शित नहीं किए है। कुछ खातेदार फौत हो चुके थे, उनके का0मु0 को रेकर्ड पर लिए बिना ही मृतक व्यक्ति के विरूद्ध डिक्री पारित की गई है, जो त्रुटीपूर्ण है। अपीलाण्ट के हिस्से में खसरा नम्बर 243 रखा गया है, जिसमें आवागमन का कोई मार्ग ही नहीं है। इस प्रस्ताव को मान्यता प्रदान करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील डिक्री पारित की है, जो विवाद को बढाती है। अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष किसी प्रकार से

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली केम्प-जालोर

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

राजीनामा नहीं किया, इसके बावजूद प्रकरण को राजीनामा के आधार पर निस्तारित कर दिया गया, जो विधि विरूद्ध है। अतः इन समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील निर्णय एवं डिक्री को अपास्त करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट्स की सहमति से प्राथमिक डिक्री जारी हुई है। इसके दो वर्ष के पश्चात यह अपील प्रस्तुत की है, जो स्पष्टतया मियाद के बिन्दु पर ही खारिज़ योग्य है। यदि किसी खसरे में रास्ता उपलब्ध नहीं हुआ है, तो धारा 251ए के तहत रास्ते के प्रावधान उपलब्ध है। जिस भूमि पर जो खातेदार काबिज काश्त है, उसके हिस्से में वही भूमि रखी गई है। जिन खातेदारान को फौत होना बता रहे है, उनके फौतेदगी की कोई सूचना अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड पर नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री की पालना में स्वयं तहसीलदार द्वारा मौका निरीक्षण कर विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसमें समस्त आज्ञापक तथ्यों को रेखांकित किया है। इस प्रस्ताव के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तिम डिक्री पारित की है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। अतः अपील खारिज करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। वकील रेस्पोडेन्ट का प्रथम आक्षेप यह रहा है कि अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है, जो खारिज योग्य है। इस सम्बन्ध में इस सम्बन्ध में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा आर0आर0टी0 2004 (2) पेज 698 में प्रतिपादित किया कि "पक्षकारों के अधिकार मेरिट पर निर्णीत करने चाहिये – तकनीकी आधारों पर पक्षकार को न्याय से वंचित नहीं करना चाहिये।" अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात्, उभयपक्ष की दलीलों एवं प्रकरण में निहित न्याय के सारभूत प्रश्नों के विनिश्चय हेतु अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। तद्नुसार अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 को स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क़ण्डोन किया जाता है। अब गुणावगुण पर प्रकरण का परीक्षण करने पर यह प्रकट होता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपनी संयुक्त खातेदारी भूमि के विभाजन हेतु वाद प्रस्तुत किया, जिसमें राजस्व लोक अदालत कैम्प सिलासन में राजीनामा के आधार पर प्राथमिक डिक्री पारित की गई है। उक्त राजीनामा प्रपत्र का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि राजीनामा प्रपत्र पर समस्त पक्षकारान् के हस्ताक्षर नहीं है। इस कारण उक्त राजीनामा को विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। इसके अतिरिक्त मृतक नेथी एवं खेताराम के का0मु0 को पक्षकार बनाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा चुका था, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उन का0मु0 को पक्षकार संयोजित किए बिना ही जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित की है, जो स्पष्टतया मृतक के विरूद्ध पारित होने से त्रुटीपूर्ण हैं। इस कारण जैर अपील निर्णय एवं डिक्री को कायम रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली कैम्प-जालोर

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रानीवाड़ा द्वारा राजस्व वाद संख्या 42/2012 उकरडा बनाम पांचा के का0मु0 वगैरा में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री 02.07.2015 एवं अन्तिम डिक्री दिनांक 05.04.2016 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे मृतक खातेदारान् के का0मु0 को रेकर्ड पर लेते हुए पक्षकारान् को समुचित साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के अध्याय 4 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए नये सिरे से विभाजन प्रस्ताव तैयार करवा कर विधि सम्मत निर्णय पारित करें। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 14.8.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली कैम्प-जालोर

(डॉ. बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
कैम्प जालोर